UPRVUNL	उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार 14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 519 / मा0सं0 (04) / उ0नि0लि0 / 2011–43–मा0सं0(04) / 2008 दिनांक 20 मई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्पादन निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 804–मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2009–43–मा0सं0(04) / 2008 दिनांक 26.05.2009 द्वारा निगम के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को उ0प्र0 शासन की अनुरूपता में पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य कराने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 397–पी0एण्डआर0–28 / पाकालि / 2009–60–पी / 98 (टी0सी0– I) दिनांक 02.03.2009 को अंगीकृत करते हुये पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के अवशेष देयों का भुगतान, सेवारत कार्मिकों के सम्बन्ध में निर्गत वेतन पुनरीक्षण आदेश संख्याः 320–मा0सं0(04) / उ0नि0 लि0 / 2009–43–मा0सं0(04) / 2008 दिनांक 28.02.2009 में निहित प्राविधानानुसार, वित्तीय वर्ष 2010–2011 से 2013–14 के मध्य किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

उक्त अनुक्रम में उ0नि0लि0 द्वारा अंगीकृत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 397–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2009–60–पें0एवंआर0 / 98 दिनांक 02.03.2009 के बिन्दु–3 (ख) में उल्लिखित अवशेष के भुगतान की प्रकिया को 80 वर्ष या उससे अधिक के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों हेतु निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

"80 वर्ष या उससे अधिक के आयु के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा। पूर्व में भुगतान की गई धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।"

किसी पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त उ0नि0लि0 द्वारा अंगीकृत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के उक्त ज्ञाप में निहित अन्य व्यवस्थाएं पूर्ववत् रहेंगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 519 (1) / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक, (कार्मिक / वित्त / तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

कृ0प0उ0

5. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, सोनभद्र/झाँसी/कासिमपुर(अलीगढ़)/कानपुर।
6. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. लेखाधिकारी, वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी ओबरा/अनपरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/कासिमपुर(अलीगढ़)।
10. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, (मुख्यालय) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष संख्या 906, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की वेवसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
12. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज/ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, विद्युत पेशनर्स परिषद, 103–कीर्ति शिखर आपर्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12–आफ स्टेशन रोड लखनऊ।

आज्ञा से,

(एम0डी0 मिश्र)
अनुसचिव (मा0सं0–04)